ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 10, Issue 1, January 2023

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 7.421

+91 9940572462 +91 9940572462 ijarasem@gmail.com www.ijarasem.com

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 1, January 2023 |

भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नई शिक्षा नीति का प्रभाव

ASHUTOSH SONI

Assistant Professor (Public Administration), Government MS College for Women, Bikaner (Rajasthan), India

सार :

वैदिककाल में वेद मन्त्रों की शिक्षा को पर्याप्त कहा जाता था, किन्तु वर्तमान काल में मनुष्य के विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। यद्यपि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में देश में व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति देखने को मिली है, किन्तु यह अभी पर्याप्त नहीं है। हालाँकि आज शिक्षा के क्षेत्र में नित नवीन प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसमें छात्रों के नैतिक विकास, स्वावलम्बन की भावना आदि में विकास का प्रयास किया जा रहा है।

आधुनिक युग में शिक्षा प्रणाली छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए प्रचलित की जा रही है। आज इण्टरनेट के माध्यम से शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। छात्रों को विश्व के एक छोर से दूसरे छोर पर स्थित पुस्तकालय से जोड़कर किसी भी विषय का ज्ञान प्रदान करवाया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में परीक्षा प्रणाली के क्षेत्र में भी आमूल-चूल परिवर्तन एवं संशोधन किए गए हैं, जिसके द्वारा आज शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। परीक्षा प्रणाली को वार्षिक के स्थान पर सेमेस्टर प्रणाली में बदला गया है, इसके अतिरिक्त आज छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन उसकी स्मरण शक्ति की अपेक्षा पूरे वर्ष उनके द्वारा किए जा रहे क्रिया-कलापों से आँका जाता है। साथ ही आधुनिक समय में अंक प्रणाली के स्थान पर ग्रेड प्रणाली को अपनाया जा रहा है।

परिचय :

सरकार ने शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु 6-14 वर्ष की आयु के सभी छात्रों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान करके शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास किया है। आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था के कारण ही ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता हेतु विद्यालय खोले गए हैं। शिक्षा की इस प्रकार सभी छात्रों तक पहुँच हेतु ज्ञान का विस्तार पूरी दुनिया में बहुत तेजी से हो रहा है। आज की परिस्थिति में शिक्षा स्वयं एक उत्पाद बन गई है, जोकि मानव संसाधन विकास के लिए अनिवार्य है। तकनीकी क्रान्ति के फलस्वरूप आधुनिक शिक्षा प्रणाली, शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में छात्रों के शारीरिक व मानसिक विकास का ध्यान रखा जाता है। आधुनिक शिक्षा के द्वारा नवयुवक आज विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं।

आधुनिक शिक्षा प्रणाली में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाना होगा। पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार करना होगा, जो छात्रों के ज्ञान को बढ़ाने के साथ-साथ व्यवसाय एवं रोजगार का चुनाव करने में भी सहायक हो। शिक्षा छात्रों की रुचि के अनुरूप हो इसे छात्रों पर थोपा नहीं जाना चाहिए। छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के ढाँचे को तैयार किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण देश में एक समान पाठ्यक्रम व शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए तथा सरकार को निजी (पब्लिक) स्कूल व निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी करने पर रोक लगानी चाहिए।

उपसंहार :

आधुनिक शिक्षा प्रणाली के कुशल संचालन हेतु व शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु केन्द्र व राज्य सरकारों को अपनी मूक दर्शक मुद्रा को छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक सक्रिय पर्यवेक्षक की भूमिका निभानी चाहिए, अन्यथा आधुनिक शिक्षा निजी हाथों में कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों की तिजोरियों को भरने और देश के नवयुवकों को अन्धकार में झोकने का जरिया बनकर रह जाएगी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक शिक्षार्थी के अनुपात को सुनिश्चित करने के लिए भी कड़े कदम उठाकर उसे उचित प्रकार से लागू भी किया जाना चाहिए।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 1, January 2023 |

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहला समावेशी, सहभागी और समग्र दृष्टिकोण है जो मौजूदा शैक्षिक संरचना में सुधार करता है। यह नई शिक्षा नीति 2020 अनुभव, अनुभवजन्य अनुसंधान, हितधारक प्रतिक्रिया और सर्वोत्तम प्रथाओं से सबक जैसे विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखती है।

यह एक प्रगतिशील बदलाव है और अगर इसे सही दृष्टि से लागू किया जाए तो यह नई शिक्षा संरचना भारत को दुनिया के अग्रणी देशों के बराबर ला सकती है। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव से छात्रों, अभिभावकों से लेकर शिक्षकों तक हर कोई प्रभावित होगा। आइए उन प्रमुख बदलावों को समझें जो इस नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित हैं। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति **2020** की **प्रमुख बातें :**

- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio-GER) को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।
- 'मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय' का नाम परिवर्तित कर 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया है।
- पाँचवीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये "भारतीय उच्च शिक्षा परिषद" नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है।
- शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन बहुत पहले लिया गया था लेकिन अबकी बार 2020 में जारी किया गया|

भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1948 में डॉ॰ राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। तभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना भी शुरू हुआ था। कोठारी आयोग (1964-1966) की सिफारिशों पे आधारित 1968 में पहली बार महत्त्वपूर्ण बदलाव वाला प्रस्ताव इन्दिरा गांधी के प्रधानमन्त्री काल में पारित हुआ था।

अगस्त 1985 'शिक्षा की चुनौती' नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों (बौद्धिक, सामाजिक, राजनैतिक, व्यावसायिक, प्रशासकीय आदि) ने अपनी शिक्षा सम्बन्धी टिप्पणियाँ दीं और 1986 में भारत सरकार ने 'नई शिक्षा नीति 1986' का प्रारूप तैयार किया। इस नीति की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढाँचे को स्वीकार किया और अधिकांश राज्यों ने 10+2+3 की संरचना को अपनाया। इसे राजीव गांधी के प्रधानमन्त्रीत्व में जारी किया गया था। इस नीति में 1992 में संशोधन किया गया था। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में एक नवीन शिक्षा नीति बनाने का विषय शामिल था। 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के लिये जनता से सलाह मांगना शुरू किया था। भारतीय शिक्षा प्रणाली के इस सुधार का उद्देश्य "कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा" है । इसका उद्देश्य वर्तमान शिक्षा परिदृश्य में कमियों को भरना है। तो, हम कह सकते हैं, एनईपी 2020 को 'लर्निंग टू लर्न' दृष्टिकोण के लिए लाया गया है।

नई शिक्षा नीति की मुख्य बातें :

- वर्तमान स्कूल प्रणाली को क्रमशः फाउंडेशन, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक के रूप में 5+3+3+4 चरणों में विभाजित किया जाएगा।
- कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाएगी।
- व्यावसायिक शिक्षा को कक्षा 6 से 10 दिनों की अनिवार्य इंटर्नशिप के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी वर्ष में दो बार SAT जैसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी।
- 4 वर्षीय बहु-विषयक स्नातक कार्यक्रम से छात्रों को लाभ होगा।
- बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र ब्रेक के बाद डिग्री पूरी कर सकेंगे।
- विदेशी कॉलेज भारत में प्रवेश कर सकते हैं, इससे भारतीय विश्वविद्यालय वैश्विक हो जाएंगे।

प्रमुख परिवर्तन :

इस नई नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः "शिक्षा मंत्रालय" करने का फैसला लिया गया है। इसमें समस्त उच्च शिक्षा (कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर) के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने

का प्रावधान है। संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा। शिक्षा तंत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कुल 6 प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य है जो इस समय 4.43% है। एम.फिल. को समाप्त किया जायेगा। अब अनुसंधान में जाने के लिये तीन साल के स्नातक डिग्री के बाद दो साल स्नातकोत्तर करके पीएचडी में प्रवेश लिया जा सकता है।

नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस रखने और बढ़ाने को भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। पहले 'समूह' के अनुसार विषय चुने जाते थे, किन्तु अब उसमें भी बदलाव किया गया है। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वह संगीत को भी अपने विषय के साथ पढ़ सकते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी जिससे पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। नीति में पहले और दूसरे कक्षा में गणित और भाषा एवं चौथे और पांचवें कक्षा के बालकों के लेखन पर जोर देने की बात कही गई है।

स्कूलों में 10+2 फार्मेट के स्थान पर 5+3+3+4 फार्मेट को शामिल किया जाएगा। इसके तहत पहले पांच साल में प्री-प्राइमरी स्कूल के तीन साल और कक्षा एक और कक्षा दो सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। पहले जहां सरकारी स्कूल कक्षा एक से शुरू होती थी वहीं अब तीन साल के प्री-प्राइमरी के बाद कक्षा एक शुरू होगी। इसके बाद कक्षा 3-5 के तीन साल शामिल हैं। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा यानी कक्षा 6 से 8 तक की कक्षा। चौथा स्टेज (कक्षा 9 से 12वीं तक का) 4 साल का होगा। पहले जहां 11वीं कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी थी, वही अब 8वीं कक्षा से रहेगी।

शिक्षण के माध्यम के रूप में पहली से पांचवीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जायेगा। इसमें रट्टा विद्या को ख़त्म करने की भी कोशिश की गई है जिसको मौजूदा व्यवस्था की बड़ी खामी माना जाता है। किसी कारणवश विद्यार्थी उच्च शिक्षा के बीच में ही कोर्स छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा करने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता एवं उन्हें डिग्री के लिये दोबारा से नई शुरुआत करनी पड़ती है। नई नीति में पहले वर्ष में कोर्स को छोड़ने पर प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष पर छोड़ने पर डिप्लोमा एवं अंतिम वर्ष पर छोड़ने पर डिग्री देने का प्रावधान है।

नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का प्रभाव :

शिक्षा पर यह राष्ट्रीय नीति अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगी। लेकिन जो दो प्रमुख वर्ग प्रभावित होंगे वे हैं 'छात्र और शिक्षक'। तो आइए समझते हैं इस नई शिक्षा नीति का छात्रों और शिक्षकों पर क्या असर होगा :

छात्रों पर प्रभाव : एनईपी 2020 छात्रों के लिए सीखने के नए अवसर खोलेगा। इसका सबसे बड़ा प्रभाव छात्रों के लिए सीखने के माहौल और सीखने की प्रक्रिया में बदलाव होगा।

- विद्यार्थियों के कौशल सुधार एवं योग्यता विकास पर फोकस बढ़ाएँ।
- 21वीं सदी के कौशल का निर्माण करके छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करें।
- छात्रों को शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक दोनों गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कराएं।
- प्री-प्राइमरी, ओपन और दूरस्थ शिक्षा के छात्रों के लिए सीखने के विभिन्न अवसर प्रदान करें।
- छात्रों को परामर्श और अन्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करें।

केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 30% छात्र 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं।

इसलिए, शिक्षा पर यह नई राष्ट्रीय नीति 1 वर्ष के प्रशिक्षण या 2 वर्ष के डिप्लोमा के साथ मध्यावधि ड्रॉप-आउट छात्रों के लिए कई निकास विकल्प भी प्रदान करेगी। इतने सारे बढ़ते अवसरों के साथ, छात्रों की जिज्ञासा और भ्रम भी बढ़ेगा। इसलिए, उन्हें सही करियर निर्णय लेने में विशेषज्ञों और पेशेवरों की मदद लेने का सुझाव दिया जाता है। छात्रों का सबसे पहला विशेषज्ञ शिक्षक से संपर्क होता है।

शिक्षकों पर प्रभाव : केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में माध्यमिक विद्यालय के 13% शिक्षक पेशेवर रूप से कुशल नहीं हैं। इसलिए भारत सरकार ने अपने शिक्षकों को अधिक कुशल और भविष्य के शिक्षण कौशल से सुसज्जित करने का निर्णय लिया है। देखिए नई शिक्षा नीति से शिक्षकों को क्या मिलेगा :

- व्यावसायिक शिक्षण मानकों का परिचय।
- स्पष्ट रूप से उल्लिखित भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ।
- उनकी क्षमताओं की निगरानी और सुधार के लिए प्रशिक्षण।
- 21वीं सदी के शिक्षण कौशल पर अधिक ध्यान।
- शिक्षकों को प्रेरित करने और उनके प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए एक पारदर्शी भर्ती और चयन प्रक्रिया।

"शिक्षा का मतलब किसी बच्चे पर जानकारी थोपना नहीं है। यह शरीर और दिमाग को उच्चतम संभव क्षमता तक विकसित करना है।" - गुमनाम

शिक्षक न केवल छात्रों को उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए मार्गदर्शन करते हैं बल्कि उन्हें सही करियर निर्णय लेने में भी सलाह देते हैं। इसलिए, उन्हें खुद को नए जमाने की शिक्षण विधियों से लैस करना चाहिए। उन्नत शिक्षण कौशल का सामना करने और वर्तमान शिक्षण प्रवृत्तियों को समझने के लिए, शिक्षक यूनीवेरिटी द्वारा प्रस्तुत ' टीच ऑनलाइन – टूल्स फॉर ए डिजिटल एज' में नामांकन कर सकते हैं। यह उन शिक्षकों के लिए 6 घंटे का अनुकूलित पाठ्यक्रम है जो शिक्षण के नवीनतम और नए तरीकों को अपनाना चाहते हैं।

कैरियर परामर्शदाता के रूप में शिक्षकों की भूमिका :

छात्र न केवल पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए शिक्षकों की ओर देखते हैं, बल्कि अपने भविष्य के हितों के लिए मार्गदर्शन की भी अपेक्षा करते हैं। वे ज्यादातर समय स्कूलों में बिताते हैं और यही कारण है कि उनकी आकांक्षाओं को शिक्षकों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। शिक्षक उनके पहले करियर मार्गदर्शक होते हैं। वे छात्रों को सही पाठ्यक्रम, सही विषय, सही स्ट्रीम चुनने, उनके शैक्षणिक स्कोर में सुधार करने और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें सही करियर पथ चुनने में सक्षम बनाने की सलाह देते हैं। छात्रों की सहायता करने और इन प्रमुख जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, शिक्षकों को कैरियर परामर्श के क्षेत्रों में प्रशिक्षित और सूचित करने की आवश्यकता है।

उन्नत करियर मार्गदर्शन कौशल से लैस होने और छात्रों को सलाह देने के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, शिक्षकों को यूसीएलए एक्सटेंशन के सहयोग से यूनीवेरिटी के ग्लोबल करियर काउंसलर कार्यक्रम में नामांकन करना चाहिए। यह शिक्षकों और परामर्शदाताओं के लिए तकनीकों और रुझानों से लेकर सर्वोत्तम प्रथाओं तक कैरियर परामर्श के बारे में जानने के लिए एक ऑल-इन-वन मार्गदर्शिका है।

प्रतिक्रियाएं :

नई शिक्षा नीति की घोषणा के उपरान्त बुद्धिजीवियों, आम जनता एवं शिक्षा जगत में मिली-जुली प्रतिक्रिया रही। वहीं मुख्यता इसमें घोषित बदलावों का स्वागत किया गया है लेकिन इसके कई लक्ष्य के पूरा होने पर संदेह व्यक्त किया गया। शिक्षा पर जीडीपी का छह फीसदी खर्च करने का लक्ष्य बहुत ही पुराना है जिसे फिर से दोहराया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति एम. जगदीश कुमार ने इस शिक्षा नीति को समावेशी कहा है।

कांग्रेस नेता एवं सांसद शशि थरूर का कहना है कि इस नीति में रखे कई लक्ष्य ऐसे हैं जिनकी पूर्ण होने की संभावना कम है।

बीबीसी के अनुसार इस नीति में आरएसएस की पद्धति और योजना को शामिल किया गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के संगठन दूटा (DUTA) ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए इसे आपत्तिजनक माना है जिसका कहना है कि इसके द्वारा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को बोर्ड ऑफ़ गवर्नर के ज़िम्मे झोंक देना अनुचित है।

स्वतंत्रता के पहले व बाद की शिक्षा प्रणाली :

भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली : भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत का श्रेय अंग्रेजों को जाता हैं। इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई, यह जानने के लिए हमें भारत की प्राचीन काल से लेकर अब तक की स्थिति का आंकलन करना होगा।

भारत में शिक्षा की शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है। वैदिक काल में शिक्षा के लिए गुरुकुल व्यवस्था थी। बालक संसार के प्रलोभनों से दूर आमोद प्रमोद से विरक्त, शुद्धतापूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए गुरु की छत्रछाया में शिक्षा की समाप्ति तक रहता था।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 1, January 2023 |

शिक्षा प्रणाली का भारत में इतिहास : बौद्ध धर्म के आविर्भाव के साथ ही वैदिक काल का अंत एवं बौद्धकाल प्रारम्भ हुआ। यहाँ गुरु शिष्य परम्परा की अनूठी मिसाल हमे देखने को मिली। शिक्षा के प्रति सब समर्पित रहते थे। किन्तु ग्यारहवीं शताब्दी के बाद मुस्लिम शासकों के आक्रमणों तथा उनके वर्चस्वस्थापित होने के फलस्वरूप पूरे देश में प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का हास होने लगा एवं मुस्लिम शिक्षा का बोलबाला हो गया।

मुगल शासकों ने अपने धर्म एवं संस्कृति के प्रचार के उद्देश्य से शिक्षा में धर्म के वर्चस्व को बढ़ावा दिया, जिससे समाज में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा मिला। इस काल में शिक्षा के केंद्र के रूप में काफी संख्या में मकतबों एवं मदरसों की स्थापना की गई। मुगलों के पतन के बाद भारत में ब्रिटिश शासकों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया और इसी के साथ यहाँ यूरोपीय शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हुई।

भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रभुत्व : वैसे तो अंग्रेजों ने शासक के रूप में भारत में शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी समझते हुए सन 1781 में मुस्लिमों की उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता में मदरसा एवं 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। किन्तु यूरोपीय शिक्षा व्यवस्था आरंभ करने के प्रयास में ब्रिटिश संसद के सन 1813 में पारित चार्टर के बाद ही प्रारम्भ हुए। इसके बाद वर्ष 1835 में लार्ड मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकृति मिलने के साथ ही भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नीव पड़ी। इसके बाद मैकाले के प्रस्तावों के आधार पर भारत में शिक्षा के विकास के प्रयास आरम्भ हो गये। \

शिक्षा के इस विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल की स्थापना हुई। वुड ने 1854 ई में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे वुड्स डिस्पैच की संज्ञा दी जाती हैं। इस घोषणा पत्र में उसने लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानते हुए उच्च शिक्षा देने के लिए कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का सुझाव दिया। इस तरह वुड्स डिस्पैच के फल स्वरूप भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव मजबूत हुई और 1857 ई में मद्रास, बम्बई एवं कलकत्ता में विश्वविद्यालय आरम्भ किये गये थे।

स्वतंत्रता के बाद भारत की शिक्षा प्रणाली : 15 अगस्त 1947 यानी देश को आजादी मिलने के बाद शिक्षा सम्बन्धी सुधारों के दृष्टिकोण से समय – समय पर कई शिक्षा आयोगों की नियुक्ति की गई एवं उनके सुझावों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था में सुधार एवं परिवर्तन किये गये। विश्वविद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग एवं भारतीय शिक्षा आयोग प्रमुख हैं।

भारतीय शिक्षा आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्ताव 1986 ई में पारित किया गया, 10+2+3 शैक्षिक ढाँचे की शुरुआत हुई, कार्यानुभव को स्कूल के पाठ्यक्रम में विशेष स्थान मिला, अध्यापकों के वेतनमान तथा सेवा शर्तों में सुधार हुआ एवं शिक्षा के व्यवसायीकरण को बल मिला। इसके बाद शिक्षा में समानता अर्थात किसी जाति धर्म, वर्ग या लिंग के आधार पर भेदभाव न करने की व्यवस्था की बात कहीं गई।

आधुनिक शिक्षा व्यवस्था व निजीकरण :

वास्तव में व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता हैं. प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग वाले बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया हैं। किन्तु भारत की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही हैं उसे देखते हुए यह कहा जा सकता हैं कि शिक्षा की समुचित व्यवस्था केवल सरकार द्वारा किया जाना संभव नहीं हैं.इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के निजीकरण के प्रयास हुए हैं।

शिक्षा में निजीकरण और लाभ हानि :

शिक्षा के निजीकरण का अर्थ है शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के अतिरिक्त गैर सरकारी भागीदारी. वैसे तो ब्रिटिशकाल से ही निजी संस्थाएं शिक्षण कार्य में संलग्न थी किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनुदान एवं सरकारी सहायता के फलस्वरूप भारत में निजी शिक्षण संस्थाओं की बाढ़ सी आ गई हैं। स्थिति अब ऐसी हो चुकी हैं कि इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता महसूस की जा रही हैं, क्योंकि अधिकतर निजी शिक्षण संस्थाएं धन कमाने का केंद्र बनती जा रही है एवं इनके द्वारा छात्रों एवं अभिभावकों का शोषण हो रहा हैं। शिक्षा के निजीकरण के यदि कुछ गलत परिणाम सामने आए हैं तो इससे लाभ भी निश्चित तौर पर हुआ हैं। इसके कारण शिक्षा के प्रसार में तेजी आई हैं। शिक्षित लोगों को इसके जरियें रोजगार के साधन उपलब्ध हुए हैं एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ हैं।

निष्कर्ष :

चूँकि समाज एवं देश में समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं इसलिए शिक्षा के उद्देश्यों पर भी समय के अनुसार परिवर्तन होते हैं. उदाहरण के लिए वैदिक काल में वेदमंत्रों की शिक्षा को ही पर्याप्त मान लिया जाता था। किन्तु वर्तमान काल में मनुष्य के विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर की शिक्षा के बिना मनुष्य को लगभग ही अशिक्षित माना जाता हैं क्योंकि दैनिक जीवन में अब कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ा हैं।

इस समय शिक्षा द्वारा उत्पादकता बढ़ाने सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण करने, भारत का आधुनिकरण करने तथा नैतिक सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने के लिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में पारम्परिक एवं सैद्धांतिक पाठ्यक्रम की अधिकता हैं. इसके स्थान पर आधुनिक एवं प्रायोगिक पाठ्यक्रम को समुचित स्थान दिया जाना चाहिए, साथ ही इसे अधिक रोजगारोन्मुखी बनाएं जाने की भी जरूरत हैं।

संदर्भ :

1. "नई शिक्षा नीति : पढ़ाई, परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड सब में होंगे ये बड़े बदलाव", आज तक, अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020।
2. "नई शिक्षा नीति पर BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले - नई शिक्षा नीति नए भारत की जरूरतों को ध्यान में रखती है" पंजाब केसरी, 29 जुलाई 2020, अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020।
3. नई शिक्षा नीति, 2020।
4. "नई शिक्षा नीति-2020 : प्रमुख पॉइंट्स एक नजर में", अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020।
5. "आइए जानें आखिर देश की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जरूरत क्यों पड़ी", दैनिक जागरण, अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020।
6. Rohatgi, Anubha, संपा. (2020-08-07), "Highlights | NEP will play role in reducing gap between research and education in India : PM Modi", Hindustan Times, अभिगमन तिथि 08 अगस्त 2020।
7. "New Education Policy 2020 : 5वीं तक पढ़ाई अब मातृभाषा में, स्नातक तक प्रवेश की एक परीक्षा", अमर उजाला, अभिगमन तिथि 31 जुलाई 2020।
8. "नई शिक्षा नीति 2020 : स्कूल एजुकेशन, बोर्ड एग्जाम, ग्रेजुएशन डिग्री में हुए बड़े बदलाव, जानें 20 खास बातें", हिन्दुस्तान लाइव, अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020।
9. सिंह, प्रोफेसर दिनेश (29 जुलाई 2020), "स्कूली और उच्च शिक्षा की बेड़ियां खोलेगी नई शिक्षा नीति", द क्विंट, अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020।
10. "New Education Policy: अब केमिस्ट्री के साथ म्यूजिक, फिजिक्स के साथ फैशन डिजाइनिंग पढ़ सकेंगे छात्र", आज तक, अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020।
11. "नई शिक्षा नीति से कितनी बदलेगी शिक्षा व्यवस्था? जानिए-क्या कहते हैं जानकार", आज तक, अभिगमन तिथि 31 जुलाई 2020।
12. "नई शिक्षा नीति का समर्थन कर शशि थरूर बोले- कई लक्ष्य सच्चाई से परे, बजट पर चिंता", आज तक, अभिगमन तिथि 31 जुलाई 2020।
13. सिंह, सरोज (30 जुलाई 2020), "नई शिक्षा नीति 2020: सिर्फ़ आरएसएस का एजेंडा या आम लोगों की बात भी", बीबीसी हिन्दी, अभिगमन तिथि 31 जुलाई 2020।

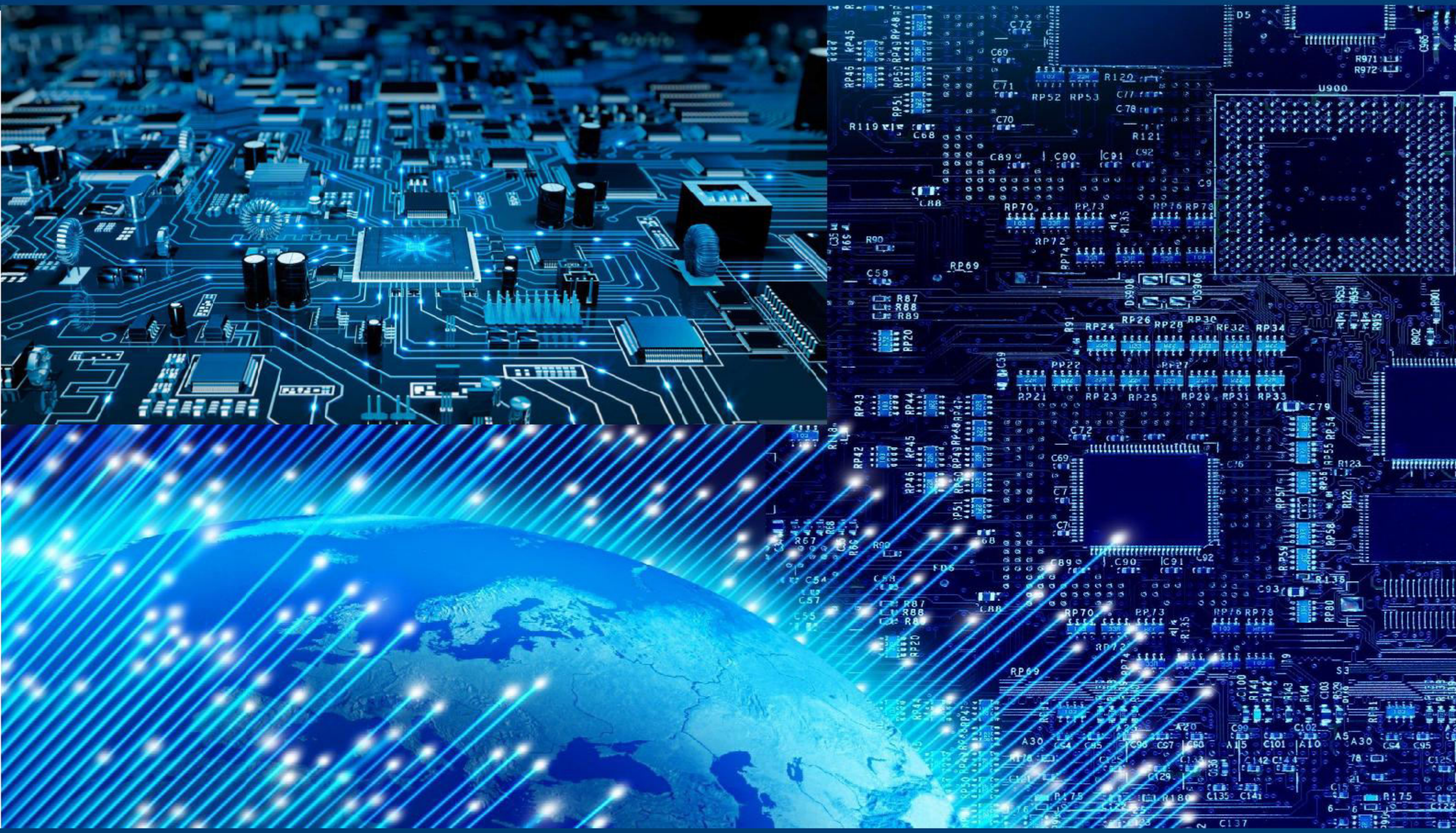

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |

www.ijarasem.com